

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs. 20

TWENTY RUPEES



INDIA NON JUDICIAL



452581

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38 सुखतम पुर लोक सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

38 सुखतम पुर

(राज्य का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए विद्वान अफसर के रूप में

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अभ्यर्थी

भाग-क

1. प्रो. प्रताप सुंदर निषाद पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. महाराज जी निषाद  
जो ग्राम-क्षेत्र/समाज/समाज नाम-सोहाड़ ग्राम (ग्राम का पूरा पता लिखें)  
का/की निवासी हैं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हैं, परचयिका से प्रमाण करता हैं/करती हैं समय पर निम्नलिखित कथन करता हैं/करती हैं :-

- (1) प्रो. प्रताप सुंदर निषाद (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हैं। \*एक स्वयंसेवक अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हैं। (\*\*को लागू न ही उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 188 सुखतम पुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 98 के रूप में 733 पर प्रविष्ट हैं।
- (3) मेरा पैनल टेलीफोन नं. 9455453045 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी(यदि कोई हो तो) N/A है।
- (4) सवाई लाला संजयका (पिन) को बंदे और आठ कर मिलने काटल करने की प्राप्ति: N/A



2022

1)

क्रम सं.	काम	ह	निर्वाचन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आवश्यक विवरण साइट की वेब है।	अभ्यर्थक विवरण में उपरोक्तित कृत अंग (लागू है)
1	समय	X	X	X
2	पति या पत्नी	X	X	X
3	आशित-1	X	X	X
4	आशित-2	X	X	X
5	आशित-3	X	X	X

- (5) मैं ऐसे किसके लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। ✖

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगी/करेंगे - ✖

- (i) निम्नलिखित मामला (मामलों) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। ✖

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	✖
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	✖
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	✖
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	✖
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	✖
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	✖

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामलों) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:- ✖

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	✖
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	✖
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	✖

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा, (3) के अंतर्गत आने वाली किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है। ✖

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। ✖

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :- ✖

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	✖
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	✖
(ग)	अधिराजित दंड	✖
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	✖

7) मैं मेरे मेरे पति या पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जगम और स्वावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ -

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे :-

टिप्पणी

- 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।
- 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी		✓	✓	✓	✓
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (निधत जमा आपक्षिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम		✓	✓	✓	✓
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	✓	✓	✓	✓	✓
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	✓	✓	✓	✓	✓
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	✓	✓	✓	✓	✓
(vi)	भूखरीदान/वायुयान/याट/पोत विक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	✓	✓	✓	✓	✓
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	✓	✓	✓	✓	✓
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि	✓	✓	✓	✓	✓

2022  
11

	दावा/हित का मूल्य	₹	₹	₹	₹	₹
(ix)	रामन कुल मूल्य	₹	₹	₹	₹	₹

### ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी :-

- संयुक्त स्वामिता की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्थल	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1012/1	₹	₹	₹	₹
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1/4	₹	₹	₹	₹
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	₹	₹	₹	₹
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	₹	₹	₹	₹	₹
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹	₹	₹	₹	₹
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹	₹	₹	₹	₹
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	दृष्टक	₹	₹	₹	₹
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5400	₹	₹	₹	₹
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	₹	₹	₹	₹
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	₹	₹	₹	₹	₹
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹	₹	₹	₹	₹
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹	₹	₹	₹	₹
	अमानित चालू बाजार मूल्य	2257	1225000/-	₹	₹	₹
(iii)	कॉमर्शियल भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	₹	₹	₹	₹	₹



2022  
11

पौता नवनिषाद

	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2	4	4	4	6
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	7	6	6	4	6
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	7	7	6	7	7
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	7	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	7	X	X	X	X
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	7	7	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	7	7	7	X	X
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	7	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	7	X	X	7	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	7	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	7	X	X	X	X
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	7	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	7	X	X	X	X
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	7	X	7	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	7	X	X	X	X
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	7	X	X	X	X
(vi)	व्यक्ति (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	7	7	7	X	7

(b) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पणी : क्षुपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं	X	X	X	X	X

	अन्य व्यक्तियों निकाय को ऋण या शोध	X	X	X	X	X
	नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X
	बाई अन्य दायित्व	X	X	X	X	X
	दायित्वों का कुल योग	X	X	X	X	X
(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	X	X	X	X	X
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	X	X	X	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	X	X	X	X	X
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	X	X	X	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	X	X	X	X	X
	आय-कर शोध	X	X	X	X	X
	धनकर शोध	X	X	X	X	X
	सेवाकर शोध	X	X	X	X	X
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	X	X	X	X	X
	विक्रयकर शोध	X	X	X	X	X
	कोई अन्य शोध	X	X	X	X	X
(iii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग	X	X	X	X	X
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व क्रियदायी है, यदि हां, तो अंतर्निहित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लक्षित है का वर्णन करें।	X	X	X	X	X



(9) व्यक्ति का संपत्ति का के बारे में :

(क) स्वयं पान की दुकान

(ख) पति या पत्नी N.A

(10) मेरी शैक्षिक अंशता नीचे दिए अनुसार है :

VKM-I-ADED-NOMINATION-4

पीताम्बर निवास

# कक्षा 5 पाठ्य - शां पाठशाला सैकुलर मॉडल

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/बिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय जिला के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें)

## भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल पीताम्बर निषाद				
2	डाक का पूरा पता	ग्राम-सैकुलर मॉडल पो० सैकुलर मॉडल, सुलतमडर				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	188 सुलतमडर (उ०प्र०)				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	प्रगतिशील मानव समझ पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	N.A.				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	N.A.				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की चारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	N.A.				
7	.....का स्थायी लेखा सं०		वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	N.A.	N.A.	N.A.		
	(ख) पति या पत्नी	N.A.	N.A.	N.A.		
	(ग) आश्रित	N.A.	N.A.	N.A.		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरा (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



2022  
11

ख		स्वायत्त आस्तिया	X	✓	✓	✓	✓
	I	स्वायत्त स्वायत्त संपत्ति की क्रय कीमत	✓	✓	✓	✓	✓
	II	क्रय की पर्याप्त स्वायत्त संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) की	✓	✓	✓	✓	✓
		अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	✓	✓	✓	✓	✓
	III	(क) स्वायत्त आस्तिया (कुल मूल्य)	✓	✓	✓	✓	✓
	(ख) विरासती आस्तिया (कुल मूल्य)						
9	दायित्व						
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	✓	✓	✓	✓	✓
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	✓	✓	✓	✓	✓
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	✓	✓	✓	✓	✓
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	✓	✓	✓	✓	✓
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : कक्षा - 12 पास आल्पाठशा ला से प्रस्तावित (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का खीरे दें।)						

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषण करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक त्रुटि नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 12.4.14 को सत्यापित किया गया।

Harish Chandra Srivastava  
Address  
SULTANPUR (U.P.)  
12.4.14

अभिसाक्षी

प्रोताम्बर निषाद



नोट :-

1. शपथपत्र नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो क्यास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट- 5

अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं० 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है, जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट- 6

शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए-

मेरा टेलीफोन नं० 9455453045 है/हैं।

मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) N.A है।

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो)  है।

पी लाम्बर निघाव